

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.४(१५)राज / वाद / १९

जयपुर, दिनांक ९/७/२०१९

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री कौशिक पण्ड्या, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/739/2000) को जिला एवं सेशन न्यायालय, डूंगरपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, डूंगरपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री भारत भूषण पण्ड्या, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, डूंगरपुर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

६०

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर / जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
- 8 जिला एवं सैशन न्यायाधीश, डूंगरपुर।
- 9 जिला कलक्टर, डूंगरपुर।
- 10 कोषाधिकारी, डूंगरपुर।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 14 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 15 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 16 रक्षित पत्रावली।


(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(15)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक ९/७/२०१९

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 32 के अनुसार विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, डूंगरपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री पुष्कर चौबीसा, अधिवक्ता, (एनरोलमेन्ट नं० आर/ 1388/ 04) को विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, डूंगरपुर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

८०

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर / जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
- 8 जिला एवं सैशन न्यायाधीश, डूंगरपुर।
- 9 विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, डूंगरपुर।
- 10 जिला कलक्टर, डूंगरपुर।
- 11 कोषाधिकारी, डूंगरपुर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।

Chanchal Mishra
९/७
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

गोपनीय सचिव
(राजकीय वातकरण)

क्रमांक: प.४(१५)राज / वाद / 19

:: आदेश ::

जयपुर, दिनांक ७/८/२०१९

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (३) व लों एड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैन्युअल 1999 के नियम 15(२) 16 एवं 17 के अनुसार निम्नांकित अभिभाषकों को उनके नाम के सम्बन्ध पद व स्थान तथा मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- - प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अधिक आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के लिए नियुक्त किया जाता है :-

क्रमांक	नाम अभिभाषक	एनरोलमेंट नं	पद नाम
1	श्री मकसूद अली	आर / 17 / 98	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, झूंगरपुर
2	श्री राकेश कुमार बुनकर	आर / 196 / 06	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सागवाड़ा, जिला झूंगरपुर

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

क्रमांक	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री नरेश कलाल	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, झूंगरपुर
2	श्री निखिल सामन्तुरा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सागवाड़ा, जिला झूंगरपुर

आज्ञा से

शासन सचिव, विधि
(चंचल मिश्रा)
टू०

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- विशेष सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
- महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त महाधिवक्ता या अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- जिला एवं सौशन न्यायाधीश, झूंगरपुर।
- अपर जिला एवं सौशन न्यायाधीश, झूंगरपुर/ सागवाड़ा, झूंगरपुर।
- जिला कलदक्टर, झूंगरपुर।
- कोषाधिकारी, झूंगरपुर।
- संबंधित अभियोजक।
- अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- समर्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।


(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि